सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

1250 तुलसीनगर पिन कोड - 462003

ई-मेल - dir.socialjustice@mp.gov.in

:: आदेश ::

क्रमांक/सा.सहा.-2/2022/ 798 भोपाल दिनांक 17 / 03 /2022

प्रति,

समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा
विस्तार अधिकारी मध्यप्रदेश

विषय:- मृतक पेंशन हितग्राहियों का प्रतिमाह सत्यापन कर उनके नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने तथा उनके खाते में जमा राशि को रिकवर करने बावत्।

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन के दौरान यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि निकायो में पेशंन हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम पेंशन पोर्टल से ना हटाए जाने के कारण प्रतिमाह पेंशन उनके खाते में राशि जमा हो रही है जबकि हितग्राही की मृत्यु होने पर तत्काल उसका नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही किया जाना था। जो कि एक गंभीर विषय है।

अत: समस्त समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिमाह निकाय की समस्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के मृत हितग्राहियों के नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें, तथा प्रतिवेदन प्रतिमाह जिला कार्यालय संयुक्त संचालक / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र. के माध्यम से संचालनालय भेजा जाना सुनिश्चित करेगें। यह कार्यवाही सतत् रूप से प्रतिमाह की जावेगी।

उपरोक्त आदेश के उपरांत यदि किसी निकाय में मृत हितग्राहियों के नाम पेंशन पोर्टल में पाए जाते है तो उसकी जिम्मेदारी उस निकाय के समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी एवं उस ग्राम पंचायत के सचिव की होगी और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. ई. रमेश कुमार) 16/3
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/सा.सहा.-2/ 799 भोपाल दिनांक 17 / 03 /2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Vivekin
उप संचालक (सामा.सहा.)
वास्ते–आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.